संख्या-13/2017/383/35-3-2017-1(18)/2016

प्रेषक,

पी. एन. त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
बलरामपुर ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2017**

विषय: शासनादेश संख्या-63/2016/1791/35-3-2016-1(18)/2016 दिनांक: 22 अगस्त, 2016 मे संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 63/2016/1791/35-3-2016-1(18)/2016 दिनांक: 22 अगस्त, 2016 मे आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश के लेखा शीर्षक उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 आयोजनागत-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूजीगंत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम-101-सौरताप उर्जा कार्यक्रम-03- सोलर लाईट / सोलर पम्प / सोलर पावर फेसिंग के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24- वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा के स्थान पर **उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 आयोजनागत-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूजीगंत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम-101-सौरताप उर्जा कार्यक्रम-03-सोलर लाईट/सोलर पम्प/सोलर पावर फेसिंग के लिए एकमुश्त व्यवस्था-42- अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा** पढ़ा जायेगा।

सन्दर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,

(**पी. एन. त्रिपाठी**)
संयुक्त सचिव।

संख्या-13/2017/383(1)/35-3-2017-1(18)/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, वैकल्पिक उर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, बलरामपुर।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 / वैकल्पिक उर्जा अनुभाग ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलरामपुर ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(**पी. एन. त्रिपाठी**)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।